न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 15/2023 (2023/72)

1. श्री केकडाधीश मन्दिर धर्मार्थ ट्रस्ट केकड़ी जरिये अध्यक्ष दिनेश कुमार वैष्णव पुत्र रतनलाल वैष्णव जाति साधु निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. प्रतापी पत्नि गोपाल जाट
2. रामेश्वरी पतिन रतनलाल जाट
3. नगरपालिका केकड़ी जरिये अधिशाषी अधिकारी केकड़ी
4. नगरपालिका केकड़ी जरिये अध्यक्ष महोदय केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर --अप्रार्थीगण
6. रामेश्वर पुत्र कृष्णगोपाल ब्राहम्ण निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर --प्रफोर्मा अप्रार्थी

उपस्थित :-

1. श्री घनश्याम वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी – अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
2213-1963	3357	0.36	बारानी 1
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.36 हैक्टर	

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है जो प्रार्थी की स्वयं की आराजीयात है एवं प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के सीमाचिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडे होते है एवं प्रार्थी अपनी आराजीयात के सुरक्षार्थ तारबन्दी करवाना चाहते है जिससे प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किये जा सके। प्रार्थी अपनी आराजी पर कब्जे काश्त करने गये तो पडोसियों ने सीमाचिन्ह नही होने से धमकी दी जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थी नियमानुसार फीस अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सम्मन तामील अनुपरिथत रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया-पुराना 2213-1963 में दर्ज खसरा नम्बर 3357 रकबा 0.36 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner